निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 126 / 2021 तारीख दायरा– 24.09.2021

उनवान

विनय कुमार पुत्र ज्ञानी भरत जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद हाल निवासी म0 नं0 2/54 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा। – वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट 1956</u>

उपस्थित :–

दिनांक :–12.01.2022

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादी)

श्री सरकार पैरोकार

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम कमोलर पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा नं0 1100 की 0.04 हैक्टर, खसरा नं0 1572 टूकडी की 0.13 हैक्टर, खसरा नं0 1574 पीपली वाला की 2.42 हैक्टर, खसरा नं0 1575 पीपली वाला की 2.43 हैक्टर, खसरा नं0 317 की 1.41 हैक्टर, व खसरा नं0 318 पटेलों का कुआ की 0.25 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 6 कि कुल 6.68 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रि[illegible]वादी की मां गीता देवी, भाई देवेन्द्र, सुरेश कुमार, बहिनों मिथलेश (मिथिलेश) ललिता बाई के नाम से दर्ज [illegible] उक्त कृषि भूमि वादी व उसके भाई बहिनों को उनके पिता स्व0 श्री ज्ञानी भरत से प्राप्त हुई है, उक्त कृषि भूमि में वादी का नाम विनय कुमार के स्थान पर विजय कुमार दर्ज हो रहा है, जो कि वादी के बचपन का नाम [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

उनके हिस्से की रिलीज डीड दिनांक 05.04.2021 को वादी व उसके भाईयों देवेन्द्र व सुरेश कुमार के हक में करवा दी है, जिसका पंजीयन भी उक्त दिनांक को उपपंजीयक कार्यालय सांगोद में हो चुका है, उक्त रिलीज डीड के पंजीयन के पश्चात वादी की बहिनों व मां का उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का हक शेष नहीं रहा है, उक्त रिलीज डीड पंजीयन करवाते समय वादी ने उपपंजीयक महोदय से प्रार्थना की, कि वादी के पहचान के समस्त दस्तावेज विनय कुमार के नाम से है, ऐसी स्थिति में उक्त रिलीज डीड में भी वादी का नाम विजय कुमार के स्थान पर विनय कुमार अंकित करने की अनुमति प्रदान करें, परन्तु उन्होनें कहा कि चूंकि आपका नाम खाते में विजय कुमार दर्ज है, इसलिए उक्त रिलीज डीड में भी विनय कुमार नहीं लिखा जाकर विजय कुमार ही लिखा गया।

वादी के पहचान से संबंधित आधार कार्ड, स्कूल के दस्तावेज आदि में वादी का नाम विनय कुमार दर्ज होने की वजह से वादी को अपने हिस्से की कृषि भूमियों के विकास कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पडता है, इसके लिए राजस्व रिकार्ड में विजय कुमार के स्थान पर अपना नाम विनय कुमार दर्ज करवाने के लिए वादी ने तहसीलदार महोदय से निवेदन किया, तो उन्होनें कहा कि आपका इसके लिए उप जिला कलेक्टर सांगोद के न्यायालय में कार्यावाही करनी पडेगी, उक्त वाद को प्रस्तुत करने के लिए वादी ने अधिवक्ता महोदय से सम्पर्क किया और उक्त कृषि भूमियों से संबंधित खाते की नकलें निकलवायी तो वादी की जानकारी में आया कि सम्वत् 2069 से 2072 की नकल में नामान्तरण का अंकन करते समय तो वादी का नाम जमाबन्दी में विनय कुमार ही अंकित गया है, परन्तु नई जमाबन्दी बनाते समय सम्वभतः राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से वादी का नाम विनय कुमार के स्थान पर विजय कुमार दर्ज कर दिया, जो कि अभी भी विजय कुमार ही दर्ज हो रहा है। जिसे दुरस्त किया जाकर विनय कुमार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी उक्त नाम की दुरस्ती के लिए माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रहा है, जा`कि इस वाद की विषय वस्तु है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में खातेदारी की घोषणा की जाकर वादी व उसके भाई देवेन्द्र, सुरेश कुमार को ग्राम कमोलर पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नं0 1100 की 0.04 हैक्टर, खसरा नं0 1572 टूकडी की 0.13 हैक्टर, खसरा नं0 1574 पीपली वाला की 2.42 हैक्टर, खसरा नं0 1575 पीपली वाला की 2.43 हैक्टर, खसरा नं0 317 की 1.41 हैक्टर, व खसरा नं0 318 पटेलों का कुआं की 0.25 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 6 की कुल 6.68 हैक्टर कृषि भूमि में [illegible] रिलीज डीड दिनांक 05.04.2021 के आधार पर सम्पूर्ण कृषि भूमि में खातेदार कृषक घोषित किये [illegible] के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें, इसी अनुक्रम में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] कुमार के स्थान पर संषोधित कर विनय कुमार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

सांगोद

उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया जाने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रकरण में राजहित निहित नहीं होना व्यक्त किया। वकील वादी द्वारा बहस की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शिक्षा संबंधित दस्तावेज, रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण में रक्त संबंधियों द्वारा वादी के पक्ष में रिलीज डीड की गई है एवं सहवन से पंजीयन दस्तावेज में वादी का नाम विनय कुमार के स्थान पर विजय कुमार कर दिया गया है। वादी के पहचान के दस्तावेजों में फोटो एवं पते का मिलान किया गया। अतः उक्त रेकार्ड के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम कमोलर पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नं0 1100 की 0.04 हैक्टर, खसरा नं0 1572 टूकडी की 0.13 हैक्टर, खसरा नं0 1574 पीपली वाला की 2.42 हैक्टर, खसरा नं0 1575 पीपली वाला की 2.43 हैक्टर, खसरा नं0 317 की 1.41 हैक्टर व खसरा नं0 318 पटेलों का कुआं की 0.25 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 6 की कुल 6.68 हैक्टर कृषि भूमि में वादी के गलत दर्ज नाम विजय कुमार के स्थान पर विनय कुमार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 05.04.2021 के आधार पर सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी विनय कुमार व उसके भाई देवेन्द्र, सुरेश कुमार को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त आदेश के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.01.2022को खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:41 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6—7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 126/2021 तारीख दायरा— 24.09.2021

उनवान

विनय कुमार पुत्र ज्ञानी भरत जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद हाल निवासी म0 नं0 2/54 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा। — वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट 1956

उपस्थित :— दिनांक :—12.01.2022

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादी)

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अशोक कुमार जैन मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि —

माल ग्राम कमोलर पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नं0 1100 की 0.04 हैक्टर, खसरा नं0 1572 टुकडी की 0.13 हैक्टर, खसरा नं0 1574 पीपली वाला की 2.42 हैक्टर, खसरा नं0 1575 पीपली वाला की 2.43 हैक्टर, खसरा नं0 317 की 1.41 हैक्टर व खसरा नं0 318 पटेलों का कुआं की 0.25 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 6 की कुल 6.68 हैक्टर कृषि भूमि में वादी के गलत दर्ज नाम विजय कुमार के स्थान पर विनय कुमार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 05.04.2021 के आधार पर सम्पूर्ण कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

[illegible] वादी विनय कुमार व उसके भाई देवेन्द्र, सुरेश कुमार को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त आदेश के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.01.2022को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:41 IST
Reason: SelfAttested